कार्यालय आयुक्त पुलिस : दिल्ली

पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नयी दिल्ली – 110001

परिपत्र

संख्या 36 /2022

दिल्ली महानगर में सुशासन की अनेकों चुनौतियों में से एक अवैद्य निर्माण की है। हालांकि ये विषय वस्तु प्राथमिक रूप से नगर पालिका तथा भूमि नियोजक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का है, राज्य की विधि प्रवर्तन शाखा होने के नाते दिल्ली पुलिस की भी इस ओर नियत ज़िम्मेदारियाँ सम्बन्धित अधिनियमों और विभागीय स्थाई आदेशों में संहिताबद्ध हैं।

सबकी सुगम जानकारी के लिए, निम्न बिंदुओं को दोहराया जाता है:

1. दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1957, की धारा 475 के अनुसार, प्राइवेट/निजी अवैध निर्माण के संदर्भ में पुलिस की भूमिका मात्र दिल्ली पुलिस स्थाई आदेश संख्या L&O/81/2022 की धारा II.(B) द्वारा स्थापित तरीके से, सम्बन्धित म्युनिसिपल अधिकारी को सूचना देने की है।

2. यह सूचना देने के पश्चात दिल्ली पुलिस को आगे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार मात्र तभी उतपन्न होता है जब दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1957, की धारा 344 (2) के तहत म्युनिसिपल अधिकारी की ओर से हो रहे अवैध निर्माण को रोकने, कामगारों को हटाने और निर्माण सामग्री को ज़ब्त करने हेतु निर्देश प्राप्त हो। ऐसे किसी निर्देश के पालन को किस विधि से करा जाना है, यह दिल्ली पुलिस स्थाई आदेश संख्या L&O/81/2022 की धारा II.(A) में वर्णित है।

3. उपरोक्त 1 और 2 के अलावा दिल्ली पुलिस को स्वयंभु सिर्फ़ उस सूरत में हस्तक्षेप करने का अधिकार है जहाँ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिले या ऐसा अतिक्रमण उनके सामने हो रहा हो।

समय समय पर, दिल्ली के हर क्षेत्र, प्रक्षेत्र से, इस बावत दिल्ली पुलिसकर्मियों के अनाचरण की शिकायतें मिलती रहती हैं। इनसे एक पेशेवर पुलिस बल की छवि धूमिल होती है।

जनता का कानून और उसके प्रवर्तकों पर विश्वास ही हमारी सफलता की सर्वोत्तम कुंजी है। इस विश्वास के साथ किसी तरह का समझौता, किसी भी सूरत में, बिल्कुल अक्षम्य है। बीट में, बाज़ार में, आवासीय या अनिधिकृत कॉलोनियों में, सदैव चौकसी रखने वाले पुलिसकर्मियों को अपनी ज़िम्मेदारी साफ़ पता होनी चाहिए। इसमें किसी अपवाद की, किसी कोताही की, कोई गुंजाइश नहीं है।

ये परिपत्र समस्त सम्बंधित पुलिस कर्मियों तक पहुँचे, उनके आचरण में शामिल हो और इसका निरन्तर पालन हो, ये सभी अधीक्षण अधिकारियों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी है। किसी भी चूक के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

22/10/22

(संजय अरोरा)
आयुक्त पुलिस : दिल्ली

संख्या 5101-5251/अभिलेख शाखा/पु० मु० दिल्ली, दिनांक 22/10/2022.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
2. समस्त सयुक्त आयुक्त पुलिस, दिल्ली सयुंक्त निदेशक दिल्ली पुलिस अकादमी/ दिल्ली, नयी दिल्ली ।
3. समस्त अति० आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
4. आयुक्त पुलिस के ओएसडी।
5. समस्त उपायुक्त पुलिस/मुख्यालय, दिल्ली।
6. उपायुक्त पुलिस, समस्त /जिला इकाई दिल्ली /नयी दिल्ली, आयुक्त पुलिस सचिवालय/पु० मु०, एफआरआरओ एव उप-निदेशक /दिल्ली पुलिस अकादमी, दिल्ली /नयी दिल्ली सहित।
7. आयुक्त पुलिस के क़ानूनी सलाहकार एव वित्तिय सलाहकार, दिल्ली।
8. आयुक्त पुलिस के रीडर एव निजी सचिव, दिल्ली।
9. समस्त स० आ० पु० निरीक्षक/पु० मु०।
10. एचएआर/पु० मु०।